न्यायालय– सिविल जज (जू०डि०)/ जे०एम०, जलेसर, एटा
जमानत आवेदन संख्या–176/2026
[UPET 1200 1122 2026]

महीपाल पुत्र चन्द्रपाल उम्र 56 वर्ष
निवासी बाबरपुर खुर्द, थाना सकरौली, जिला एटा

..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य

मु०अ० सं०–285/2017
धारा–323, 504 भा०दं०सं०
थाना–सकरौली, जिला एटा

02.06.2026

आदेश

आज प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त महीपाल की ओर से द्वारा अधिवक्ता यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसे झूंठा फंसाया गया है। उसके कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। अतः विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त तर्कों पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के न्यायालय हाजिर न आने पर दिनांक 07.04.2026 से गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किये जा रहे थे। जिस पर दिनांक 30.05.2026 को अभियुक्त को जिला कारागार भेजा गया था। प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अभियुक्त द्वारा अभिकथित किया गया है कि वह प्रत्येक नियत दिनांक पर न्यायालय हाजिर रहेगा व विचारण में समर्थन करेगा। अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **महीपाल** की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में मु०– 20,000/– रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

दिनांक–02.06.2026

(सत्यम सिंघल),
प्रभारी, सिविल जज (जू०डि०)/
जे०एम०, जलेसर, एटा
(J.O. CODE– UP 3375)